वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

(Formerly Uttakhand Technical University Established By Act no. 415/2005 by Uttarakhand Gvoenment)

Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddholwal, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel. No. 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांकः–1419/VMSBUTU/2024 **महत्वपूर्ण** दिनाँकः 27,जुलाई,2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध एवं परिसर संस्थान,
वी0मा0सिं0भ0उ0त0वि0वि0,देहरादून।

विषयः– **विश्वविद्यालय को छात्रों के प्रकरण संदर्भित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संस्था स्तर से अपने यहॉ अध्ययनरत /उत्तीर्ण छात्रों के प्रकरण विश्वविद्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख किये बिना ही अग्रसारित कर दिये जाते है जिसके कारण विश्वविद्यालय स्तर से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अत्याधिक समय लगता है एवं कतिपय परिस्थितियों में संस्थानों द्वारा की गयी अपेक्षायें नियम संगत भी नहीं होती है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त संस्थायें अपने छात्रों से संबंधित प्रकरणों को मात्र निदेशक/ प्राचार्य स्तर से नियम संगत होने की दशा में ही विश्वविद्यालय को अग्रसारित किया जाये एवं संस्था निदेशक /प्रचार्य अग्रसारण करते -समय प्रकरण में यथाप्रभावी सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख एवं अपनी संस्तुति आवश्यक रूप से अंकित करने का कष्ट करें।

संस्था निदेशक/ प्राचार्य के स्तर से विश्वविद्यालय को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों में सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख न होने क कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई एवं विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्रों को निर्देशित करें कि विश्वविद्यालय से सीधे पत्राचार न करें क्योंकि किसी भी छात्र के प्रकरण पर संस्था निदेशक की संस्तुति के अभाव में कार्यवाही होने की संस्तुति के अभाव में कार्यवाही होने में अत्यधिक बिलम्ब होता हैं जो कि छात्रहित में नहीं है।

कृपया उपरोक्त का अपनी संस्था व छात्रहित में अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0वी0के0पटेल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून।
4. वेब मास्टर, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून को इस निर्देश के साथ कि संबंधित पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने तथा सभी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य को प्रेषण हेतु।
5. नोडल आफिसर, यू0एम0एस0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

(डॉ0वी0के0पटेल)
परीक्षा नियंत्रक